कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांक :- 919 दिनांक:- 10.4.17

सीमित निविदा सूचना

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के उपयोग के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी–1 (1) बजट 2004 दिनांक 28.07.08 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी–1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.05.14 में वर्णित शर्तो पर निर्धारित Specification की एक मशीन एवं निर्धारित योग्यता वाला एक ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सीज से दिनांक **26.04.2017** अपरान्ह 1.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में सीमित निविदा आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाता यदि कोई हो, के समक्ष खोली जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा/लागत	बोली प्रपत्र शुल्क
1.	सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर एक मेन विथ मशीन की सेवाएं लेने हेतु	राशि रूपये 85000/– रूपये	200/–

01. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी–1 (1) बजट 2004 दिनांक 28.07.08 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी–1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.05.14 में वर्णित शर्तो पर निर्धारित Specification की एक मशीन एवं निर्धारित योग्यता वाला ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा। Specification एवं ऑपरेटर की योग्यता का विवरण Annexure-A में अंकित है। दरों का उल्लेख Annexure-A में करना होगा।
02. **बिड प्रपत्र, बिड सूचना से संबंधित नियम, शर्तें संबंधी दस्तावेज** निर्धारित शुल्क पर **सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दिनांक 25.04.2017 सायं 6.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। या वेब साईट www.devasthan.rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाउन लोड करने की स्थिति में निविदा शुल्क रू. 200/– निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होंगे।
03. बिड सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर बीड का विवरण अंकित हो, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव चाहिये। प्राप्त बिड उसी दिन अपरान्ह 2 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
04. बिड प्रतिभूति राशि रू.1700/– का सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के नाम नकद/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न करना होगा।
05. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशयल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभुति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरूद्व किया जा सकेगा।

06. बीड के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं बैंक की पासबुक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।

07. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

08. विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथ यह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को कोई कारण बताये बिना रदद् कर सकेगी।

09. बिड में आमन्त्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। दरों को आपसी सहमति से साथ तीन माह के लिये अधिकतम बढ़ाई जा सकेगी।

10. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होगें। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है जो उक्त बिड पर प्रभावशील है।

11. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से सात दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा मेन विथ मशीन उपलब्ध कराने होगें।

12. यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो फर्म को सेवाकर स्वयं के स्तर से सबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा बिड प्रपत्र एवं बिल मे सेवाकर की राशि को पृथक से दर्शाते हुए सम्बन्धित मद में अपने स्तर से जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

13. बिड की दरे स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।

14. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नही की जावेगी।

15. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी सी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कर करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।

16. विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparen't & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।

17. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन – बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
ऋषभदेव

क्रमांक 920 to 925 दिनांकः– 10.4.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

01. आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियत दिनांक 26.04.2017 को प्रधान कार्यालय से लेखाकार को निविदाऐं खोले जाने हेतु भिजवाने का श्रम करावें।
02. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, प्रधान कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को आज ही विभाग की वेब साईट www.devasthan .rajasthan.gov.in पर कराने हेतु।
03. प्रभारी कम्प्यूटर सेल कार्यालय हाजा पास राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर अपलोड कर एवं तत्सम्बन्धी विवरण की प्रति लेखा शाखा को उपलब्ध करावें।
04. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
05. नोटिस बोर्ड पंचायत समिति / तहसील कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
ऋषभदेव

कम्प्यूटर शाखा

3123
13.4.17

12.4.2016